"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जून 2009— ज्येष्ठ 15, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. प्रतिभा घाटगे पुत्री श्री सत्येन्द्र घाटगे, उम्र 36 वर्ष, निवासी-C/o प्रकाश घाटगे, जे-3, कृष्णानगर डंगनिया रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 5-2-98 को श्री नीलेश आरकिले के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपनी उपनाम को परिवर्तित कर श्रीमती प्रतिभा आरकिले रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रतिभा आरकिले पति श्री नीलेश आरकिले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. प्रतिभा घाटगे	श्रीमती प्रतिभा आरकिले
पुत्री-श्री सत्येन्द्र घाटगे	पति श्री नीलेश आरकिले
निवासी-जे-3, कृष्णानगर	निवासी-जे-3, कृष्णानगर
डंगनिया रायपुर	डंगनिया रायपुर
तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)	तहसील व जिला-रायपुर (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 27th May 2009

TENDER NOTICE

No. GB-IV Paper-(1) 2009-2010/345.—Sealed Tenders are invited for supply of approximately 390 M.T. (±25%) White Offset Paper and 206 M. T. other various kinds of papers i. e. Colour Offset, Azurlaid, Craft, Maplitho and 2300 Reel Photo Copier Paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing Paper 2009-2010 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Annual Excise clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset Paper) based on 50 TPD for about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. on 27-6-2009 along with test report of papers from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered only on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form down-loaded from our website **www. etendersindia.net**

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working day during working hours upto 18-6-2009 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs.1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 12-6-09. The tender form will be despatched by Registered post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender form can be downloaded from **www. etendersindia.net.**

Sd/-
(K. Sreenivasulu)
Commissioner
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur
Phone No.-2331302

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 21 मई 2009

क्रमांक/246/उपंरा/परि./2009.—एस. ई. रेल्वे लेबर कांटेक्ट सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक 1665, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1979, दिनांक 30-6-1977 से श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत एस. ई. रेल्वे लेबर कांटेक्ट सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़, पंजीयन क्रमांक क्र. 1665, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 21 मई 2009

क्रमांक/247/उपंरा/परि./2009.—वनवासी चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित बागनदी, पंजीयन क्रमांक 1741, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./270, दिनांक 29-01-1982 से श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत वनवासी चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित बागनदी, पंजीयन क्रमांक 1741, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-5-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 13 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/493.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/112/बिलासपुर दिनांक 29-1-2007 के तहत शास. स्नातक महा. विद्या. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3031 दिनांक 29-1-76 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-05-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 मई 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/494.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1050/बिलासपुर दिनांक 5-8-2006 के तहत शासकीय स्नोतकोत्तर कन्या महा. विद्यालय उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3044 दिनांक 18-11-76 विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति शोभा बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26-7-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-05-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.